भेजा जा सके। यदि छविगृह निर्माण में उक्त निर्धारित मानकों का प्रयोग नही होता है अथवा निर्माण में लापरवाही अथवा किसी अन्य प्रकार से कोई ऐसा निर्माण करा लिया जाता है जिसके लिये नियमों में विमुक्ति सम्भव नही है तो वैसी स्थिति में यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं उस भवन के लिये छविगृह का लाइसेन्स देने की कार्यवाही नही दी जायेगी।

5) छविगृह में मनोरंजन तथा वाणिज्यिक क्रियाओं का अनुपात, पहुंच मार्ग, भू–खण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल, सेटबैक, भू–आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेसियो, पार्किंग प्रावधान, बेसमेन्ट एवं अन्य अपेक्षायें भू–स्वामी को सुनिश्चित करना होगा एवं इस सम्बन्ध में नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र पडरौना द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं एवं मानको का पालन किया जायेगा।

6) मल्टीप्लेक्स के निर्माण के दौरान सामुहिक व्यवस्थाओं के लिये उन्ही नियमों का अनुपाल किया जायेगा जो वर्तमान में एक सिनेमा भवन के निर्माण के लिये उ0प्र0 चलचित्र नियमावली –1951 के अन्तर्गत प्राविधानित है। अन्य मानकों के लिये ब्यूरो आफ इण्डियन स्टैण्डर्स द्वारा प्रकाशित बाईलाज आफ कन्सट्रक्शन आफ सिनेमा बिल्डिंगस 1987 की धारा 5–2–2 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इन उपविधियों के अन्तर्गत दिये गये पृथक–पृथक नियमों एवं मानको का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

7) प्रश्नगत मल्टीप्लेक्स का लाइसेन्स तभी निर्गत किया जायेगा जब मल्टीप्लेक्स का निर्माण ब्यूरो आफ इण्डियन स्टैण्डर्स की उपविधियों एवं उ0प्र0 चलचित्र नियमावली–1951 में अंकित मानकों एवं नियमों के अनुरूप होगा। निर्माण की यह अनुमति इस शर्त के साथ जारी की जा रही है कि इस सम्बन्ध में विशिष्ट उपविधियों के बनने के पश्चात मल्टीप्लेक्स का उसके अनुरूप होना सम्बिन्धित स्वामियों का उत्तरदायित्व होगा।

8) पार्किंग के सम्बन्ध में ब्यूरो आफ इण्डियन स्टैण्डर्स के पैरा 8 (1) के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। आवेदक द्वारा स्वीकृत मानचित्र में दर्शायी गयी फ्रंटेज की चौड़ाई को किसी भी दशा में इससे कम नही किया जायेगा।

9) निर्माण के दौरान अथवा निर्माण के पश्चात यदि प्रशासन के संज्ञान में कोई ऐसा तथ्य आता है सम्बन्धित स्थल पर छविगृह का निर्माण कराने से किसी नियम का उल्लघंन होता है अथवा किसी नियमों का उल्लंघन हो गया है अथवा छविगृह का निर्माण जनहित में नही है तो बिना नोटिस के यह अनुमति निरस्त कर दी जायेगी।

10) भू–स्वामी को दिनांक 31.03.2020 तक मल्टीप्लेक्स के निर्माण का कार्य पूर्ण करके मल्टीप्लेक्स के छविगृहों में सिनेमा प्रदर्शन हेतु लाइसेन्स प्राप्त कर लेना होगा। तभी शासनादेश में प्रस्तावित प्रोत्साहन योजना की अर्हतायें पूर्ण करने पर विचार किया जायेगा।

11) निर्माण कार्य की प्रगति से समय–समय पर छविगृह स्वामी द्वारा इस कार्यलय को अवगत कराया जायेगा ताकि उ0प्र0 चलचित्र नियमावली–1951 तथा ब्यूरो आफ इण्डियन स्टैण्डर्स द्वारा प्रकाशित बाईलाज आफ कन्सट्रक्शन आफ सिनेमा बिल्डिंगस एवं नेशन बिल्डिंग कोड आदि के अन्तर्गत निरीक्षण कर तथ्यों की पुष्टि की जा सकती है।

...3

Scanned by CamScanner